



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(07)CAMPA(2025-26)- 341.

दिनांक : 09/10/2025

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा/खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/राँची वन प्रमण्डल, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वित की जाने वाली "अन्यान्य" योजना के अंतर्गत अपयोजन के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तीय अनुपालन से संबंधित स्थल विशिष्ट वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों के अन्तर्गत समापन एवं सम्पोषण कार्यों के सम्पादन हेतु कुल रू0 269.76408 लाख (दो करोड़ उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार चार सौ आठ रुपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 10/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 06.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 73A/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 09.10.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष- 103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 07-"अन्यान्य" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा शर्तीय अनुपालन से संबंधित स्थल विशिष्ट वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों के अन्तर्गत समापन एवं सम्पोषण कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रू0 269.76408 लाख (दो करोड़ उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार चार सौ आठ रुपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	मजदूरी	19S24060410307010103	196.96918
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410307010323	72.79490
कुल :-			269.76408

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा परियोजना के स्वीकृति के क्रम में दिए गए निर्देश के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु जो स्थल भारत सरकार को

प्रेषित है तथा उनसे स्वीकृत है उस पर ही कार्य किए जाएँ। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु जो स्थल भारत सरकार को प्रेषित है तथा उनसे स्वीकृत है उस पर ही कार्य किए जाएँ। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/स्थल में परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका iii (ख) का ध्यान रखेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत दूसरे चरण (2nd Stage) की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही लगाये गये शर्तों के अनुरूप वन भूमि/गैर वनभूमि में ही अग्रिम कार्यों का सम्पादन किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्रतिवेदित कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ही भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत दूसरे चरण (2nd Stage) की प्रदत्त स्वीकृति/अनुमोदन उक्त परियोजनाओं के विरुद्ध अग्रिम कार्य सम्पादन हेतु स्थलवार राशि विमुक्त की जा रही है। यदि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत दूसरे चरण (2nd Stage) की प्रदत्त स्वीकृति/अनुमोदन उक्त परियोजनाओं का प्राप्त नहीं हो या स्थल परिवर्तन की आवश्यकता हो कभी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को संज्ञान में लायेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी/व्यय नहीं करेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर ही सभी मदों के कार्यों का सम्पादन किया जाय।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्र रोधन योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं वहाँ वन्यजीव पर्यावास का विकास एवं अन्य श्रोत से प्राप्त राशि का व्यय नहीं करेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन संरक्षण अधिनियम में वन भूमि के अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार को भेजे गये स्थल प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल चयन समिति में स्वीकृत स्थल में ही कार्य सम्पादित करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/स्थल में परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका iii (ख) का ध्यान रखेंगे।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य (अग्रिम, समापन, सम्पोषण अथवा कैम्पा के अन्तर्गत कोई अन्य मद) के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय और न ही उसे व्यय किया जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य (अग्रिम, समापन, सम्पोषण अथवा कैम्पा के अन्तर्गत कोई अन्य मद) के लिए राशि उप-आवंटित की गई है, उक्त कार्य के विरुद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त राशि जो पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा की गई है। इतने ही राशि की निकासी कर कार्य सम्पादन कराया जाय। शेष उप-आवंटित राशि को प्रत्यार्पित किया जाय। उक्त कार्य हेतु वर्तमान दर के आधार पर प्राक्कलित राशि एवं प्रयोक्ता अभिकरण से पूर्व के दर पर प्राक्कलित राशि के आधार पर प्राप्त की गई राशि की अन्तर राशि को उप-शीर्ष 06-ब्याज में प्रस्तावित कर राशि वगे माँग की जाय।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राक्कलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 580 दिनांक 20.12.2021, पत्रांक 249 दिनांक 20.12.2021, पत्रांक 391 दिनांक 13.07.2022, पत्रांक 398 दिनांक 19.07.2022, पत्रांक 509 दिनांक 17.11.2023 एवं पत्रांक 512 दिनांक 21.11.2023 द्वारा निर्गत पत्र का ध्यान रखेंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का गिचलन न हों।

18. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अथवा स्थल सूची में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।

19. उप-आवंटन पत्र के साथ संलग्न सूची वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई गुगल सीट/कैम्पा वार्षिक कार्य योजना/पत्रों के आधार पर है। इनमें कोई विसंगति है तब अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना देकर निराकरण कराया जाए। स्थल के संबंध में उपर के बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना/NTCA की अनुमति अथवा कार्य नियोजना के अनुरूप सम्पादित कराये जायेंगे। (जहाँ जो लागू हो) के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के शर्तीय अनुपालन के तहत वन भूमि पर सम्पादित कराये जानेवाले कार्यों का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादित कराया जाय।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/शर्तीय अनुपालन के तहत कराये जाने वाले अन्य कार्यों का भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से उपयुक्तता तथा FC Act के diversion के समय भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादन कराया जाय।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक वन कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।

24. राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

- i. Use of CAMPA fund for Van Mahotsav/Publicity, forest protection, public awareness, capacity building etc must be directly linked to forest regeneration and improvement in forest cover/wildlife habitat in area terms. Area (in Ha) should be the monitorable parameter for these activities. Hence, geo-coordinates of treated sites shall be invariably uploaded on e-Green Watch portal in time. Vehicle, if in exceptional cases only for CAMPA related work required, should be hired instead of procurement for frontline staffs only. Forest/Wildlife Protection Force/Mobile Squad shall not be funded under CAMPA, as this is primarily the responsibility of State Govt./UT Adm.
- ii. The utility of fire watch tower must be thoroughly evaluated in light of FSI's Real Time Fire alert system, and shall be accorded to in highly exceptional cases, for which justification will be provided.
- iii. For improvement of wildlife habitat, CAMPA fund should be utilized only for raising of fodder and fruit bearing trees, soil & moisture conservation, augmentation measures and invasive weed control. Fencing and constructions of essential protection infrastructure if required, in exceptional circumstances may be done under CAMPA

fund by using locally available eco-friendly materials and only after assessing site specific requirement.

- iv. Use of CAMPA Funds for construction of concrete/Masonry boundary walls, fencing etc inside the forest and the Protected Areas shall be avoided. Fencing, if at all required, should be of bio-fencing, cable fencing, solar fencing etc.
- v. All major activities in PA area shall be part of approved Wildlife Management Plan. For activities in Tiger Reserves, the NTCA and for activities in other PA area, The Wildlife Division of MoEF&CC, should be consulted before hand. Any large activity in Wildlife area, such as wild boar/elephant proof fencing etc. should be first evaluated for site specific need by WII.
- vi. For mitigation of impacts of natural calamities, due care should be taken while selecting sites and such plantations are supported through suitable techniques to protect the plantations.
- vii. Funding for supply of wood saving appliances/ energy saving conventional source of energy to fringe forest villages should be obtained from schemes of the concerned Ministry like MNRE, MP&NG etc. before approaching the National Authority for funding.
- viii. Compulsory inclusion of following details in the APOs as a separate chapter shall be a precondition for approval of the APOs in future:
 - (a) uploading of correct KML files and geo-coordinates of all afforestation and other major works carried out on e-Green Watch;
 - (b) Completing monitoring and evaluation (both routine monitoring and third party monitoring) of works undertaken and action taken on the recommendations;
- ix. It is to ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- x. Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/ regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- xi. Compensating the loss of ecological services due to forest diversion for non-forestry purposes is the main objective of Compensatory Afforestation Fund. Regeneration and development of forests should, therefore, be given priority. Also, priority should be accorded to labour intensive activities for regeneration and development of forests.
- xii. Works related to Eco-tourism and Eco-development are permissible only as per approved site-specific schemes.
- xiii. Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to valley" only in degraded forests. This shall focus assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dam, stops dams and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and activities shall concurrently monitored by reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.
- xiv. Purchase of vehicles shall avoided. Instead, hiring of vehicles shall be the first option. Repair/ maintenance of vehicles shall be limited to the vehicles purchased from the CAMPA funds previously.
- xv. Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent in used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.



- xvi. All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- xvii. Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent is used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- xviii. The State Authorities shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2022-23 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,
- xix. All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- xx. Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out;
- xxi. Monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- xxii. All the records of CAMPA activities including amount sanctioned and expenditure incurred should be maintained by State CAMPA since its inception. The records should be properly maintained with Range, Division office and CEO State CAMPA in prescribed formats and placed on their websites.
- xxiii. Monitoring and evaluation of the works undertaken shall be the highest priority for the State Authorities. Executive Committee and Steering Committee of all the State/UT Authorities should ensure adequate measures for regular internal and third party monitoring and evaluation of CAMPA activities.
- xxiv. Prior to implementation of approved APOs, the EC of the State Authority shall ensure that a certificate is available with them to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan. Whereas, activities proposed in forest fire prevention and control operations should be as per Integrated Fire Management Plan.
- xxv. The State/UTS Authorities should make a detail record and status of all the lands under protected areas/ forests below transmission lines and submit the status of their management to MoEF&CC.
- xxvi. The State EC shall also ensure that there is no overlapping of activities/ funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- xxvii. Compensating the loss of ecological services due to forest diversion for non-forestry purposes is the main objective of Compensatory Afforestation Fund. Regeneration and development of forests should, therefore, be given priority in degraded forests as well as non-forest lands. Also, priority should be accorded to labour intensive activities for regeneration and development of forests.
- xxviii. The Executive Committee of the State shall also ensure that proposed activities have adequate forward and backward linkages and are being taken up as per prevailing approved minimum wage rate, schedule of rates, model estimates etc. The APOs that are sent to the National Authority for approval must be accompanied with rationale of activities proposed, information on approved minimum wage rate, schedule of rates model estimates etc.
- xxix. Purchase of vehicles is not permitted. Vehicles are to be hired as per approved APO. The repair/ maintenance of vehicles shall be limited to the vehicles purchased from the " CAMPA funds previously.

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 10/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 06.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 73A/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 09.10.2025 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवा है :-

25. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
- (II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
26. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।
27. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे-
- (I) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
- (II) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
- (III) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
- (V) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत A.P.O. के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (VII) कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, ब्याध एवं हाथी परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना इत्यादि।
- (VIII) दो या दो से अधिक श्रोत प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्योरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
- (IX) गत तीन वर्षों में आमदनी का ब्योरा स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्काकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
- (X) वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्टि सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।
28. **Monitoring:** विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-
- (क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2025-26 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
- (ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
- (गा) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

29. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।
30. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।
31. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कंडिका 28 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
32. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन किया जाय।
33. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संघ में कंडिका 27 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।
34. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित

2

प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

35. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

36. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

37. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

38. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं0-1681 दिनांक 08.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

39. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

40. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 10/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 06.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-05/2025- 73A/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 09.10.2025 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 335 एवं 336 दिनांक 09.10.2025 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का होगा।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ज्ञापांक- 19M(07)CAMP(2025-26)- 341

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
दिनांक- 09/10/2025

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/ दुमका रीलन/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ जमशेदपुर/मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ चतरा/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ गढ़वा/ राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ज्ञापांक- 19M(07)CAMP(2025-26)- 341

दिनांक- 09/10/2025

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ चतरा/ हजारीबाग/ सरायकेला-खरसावाँ/ चाईबासा/ गढ़वा/ खूँटी/डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
दिनांक- 09/10/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410307010103	19S24060410307010323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Sahebganj	SBJFOR001	Prabal Garg	Div.For.Off.Sahibganj	₹2,42,172.00 (65433)	₹95,611.00 (65441)	₹3,37,783.00
2	Chatra	CRKFOR003	Vikash Kumar	D.F.O. South Divn. Chatra	₹1,20,70,043.00 (65434)	₹59,39,166.00 (65442)	₹1,80,09,209.00
3	Hazaribagh	HZBFWL009	Vikash Kumar Ujjwal	Div. Forest Officer East	₹4,78,898.00 (65435)	₹1,28,858.00 (65443)	₹6,07,756.00
4	Saraikeela	SKLFOR001	Shaba Alam Ansari	I/C D.F.O.Saraikeela-Kharsawa	₹6,06,200.00 (65436)	₹1,63,112.00 (65444)	₹7,69,312.00
5	Singhbhum West	SGHFOR011	Aviroop Sinha	D.F.O.Saranda Forest Division	₹13,55,686.00 (65437)	₹1,43,253.00 (65445)	₹14,98,939.00
6	Garhwa	GRHFWL001	Anshuman	D.F.O. North Div. Garhwa	₹2,84,914.00 (65438)	₹76,662.00 (65446)	₹3,61,576.00
7	Khunti	RNCFORK01	Dileep Kumar Yadav	D.F.O Khunti	₹37,57,898.00 (65439)	₹3,05,231.00 (65447)	₹40,63,129.00
8	Doranda	DRNFWL013	Srikant Verma	Dfo. Ranchi Forest Division Ra	₹9,01,107.00 (65440)	₹4,27,597.00 (65448)	₹13,28,704.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,69,76,408.00 (nks djksM mugÜkj yk[k NgRrj gtkj pkj lkS vkB) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(RAVI RANJAN)
ADDL.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC
Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand, Ranchi

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2025-26 : उपशीर्ष "07-अन्यान्य"

(मजदूरी दर : रू0 433.00 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	07-अन्यान्य													
		निर्धारित वृक्षारोपण और भारत सरकार शर्तीय अनुपालन से संबंधित अन्य कार्य (समापन एवं सम्पोषण कार्य)													
		रैखिक वृक्षारोपण (द्वितीय वर्ष) समापन कार्य										सिल्मीकल्चर, प्राकृतिक पुनर्जनन एवं मू-जल संरक्षण (द्वितीय वर्ष) समापन कार्य			
		लम्बाई (कि०मी०/इकाई)					गैबियन सं०								
		भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (सं०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	---	7.000	1.92377	0.94661	2.87038	100	0.49795	0.00950	0.50745	---	---	---	---	
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	36.934	439.190	120.70043	59.39166	180.09209	---	---	---	---	---	---	---	---	
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	---	---	---	---	---	790	4.78898	1.28858	6.07756	---	---	---	---	
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	---	---	---	---	---	1,000	6.06200	1.63112	7.69312	---	---	---	---	
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	91.015	13.55686	1.43253	14.98939	
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	---	---	---	---	---	470	2.84914	0.76662	3.61576	---	---	---	---	
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	1.580	15.810	9.01107	4.27597	13.28704	---	---	---	---	---	---	---	---	
सकल योग		38.514	462.000	131.63527	64.61424	196.24951	2,360	14.19807	3.69582	17.89389	91.015	13.55686	1.43253	14.98939	

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	07-अन्यान्य					कुल योग		
		निर्धारित वृक्षारोपण और भारत सरकार शर्तीय अनुपालन से संबंधित अन्य कार्य (समापन एवं सम्पोषण कार्य)							
		रैखिक वृक्षारोपण (तृतीय वर्ष) संपोषण कार्य							
		लम्बाई (कि०मी०/इकाई)							
		भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	इकाई	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	---	---	---	---	---	2.42172	0.95611	3.37783
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	---	---	---	---	---	120.70043	59.39166	180.09209
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	---	---	---	---	---	4.78898	1.28858	6.07756
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	---	---	---	---	---	6.06200	1.63112	7.69312
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	---	---	---	---	---	13.55686	1.43253	14.98939
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	---	---	---	---	---	2.84914	0.76662	3.61576
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	10.600	106.000	37.57898	3.05231	40.63129	37.57898	3.05231	40.63129
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	---	---	---	---	---	9.01107	4.27597	13.28704
	सकल योग	10.600	106.000	37.57898	3.05231	40.63129	196.96918	72.79490	269.76408

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M07C/AMPA25-26/341

दिनांक - 09-Oct-2025

क्रमांक	रिपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकराल्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	65433	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	242,172.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार एक सौ बहत्तर
2	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकराल्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	65434	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	12,070,043.00 रुपये एक करोड बीस लाख सत्तर हजार तीरयालीस
3	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकराल्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	65435	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	478,898.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार आठ सौ अठानवे

योग: रुपये एक करोड सत्ताइस लाख इनकानवे हजार एक सौ तेरह 12,791,113.00

क्रमिक योग:

(RAVI RANJAN)

ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND

क्रमांक	दि पत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा अन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते	65436	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KH ARSAWA 03 - मजदूरी	606,200.00 रुपये छः लाख छः हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा अन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते	65437	SGHFOR011 AVIROOP SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	1,355,686.00 रुपये तेरह लाख पचपन हजार छः सौ पियासी
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060410307010103 2406 - बानिकी तथा अन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते	65438	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	284,914.00 रुपये दो लाख चौरासी हजार नौ सौ चौदह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पचास लाख सैतीस हजार नौ सौ तेरह

2,246,800.00

क्रमिक योग:

(RAVI RANJAN)

15,037,913.00

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

RANCHI
RANCHI
RANCHI

Run Date: 9/10/2025

क्रमांक	रि पत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240604 10307010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते	65439	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	3,757,898.00 रुपये सैतीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ अठानवे
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 240604 10307010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 01 - वेतन एवं भत्ते	65440	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	901,107.00 रुपये नौ लाख एक हजार एक सौ सात
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060410307010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय	65441	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	95,611.00 रुपये पिनचानवे हजार छः सौ ग्यारह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड सिल्लानवे लाख बयानवे हजार पाँच सौ जन्तीस

4,754,616.00

क्रमिक योग:

19,792,529.00

(RAVI RANJAN)

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

49.37.74
Addl. PCCF CAMPA
RANCHI
Jharkhand, Ranchi


Run Date: 9/10/2025

क्रमांक	दि पत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय	65442	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,939,166.00 रुपये उनसठ लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय	65443	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	128,858.00 रुपये एक लाख अठाइस हजार आठ सौ अठान्न
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय	65444	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KH ARSAWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	163,112.00 रुपये एक लाख तीरसठ हजार एक सौ बारह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 6,231,136.00
रुपये दो करोड साहठ लाख तेइस हजार छः सौ पैसठ
क्रमिक योग: 26,023,665.00
(RAVI RANJAN)

क्रमांक	शिपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरामक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	65445	SGHFOR011 AVIROOP SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	143,253.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार दो सौ तीरपन
14	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरामक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	65446	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	76,662.00 रुपये छहत्तर हजार छः सौ बासठ
15	S 19 24060410307010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरामक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	65447	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	305,231.00 रुपये तीन लाख पाँच हजार दो सौ इक्तीस
योग:				525,146.00
क्रमिक योग:				26,548,811.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060410307010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा परिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरामक वनरोपण 07 - अन्यान्य 01-अन्यान्य 03 - प्रशासनिक व्यय	65448	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	427,597.00 रुपये चार लाख सत्ताइस हजार पंच सौ सित्तानवे
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग:	रुपये दो करोड उनहत्तर लाख छहत्तर हजार चार सौ आठ	427,597.00
क्रमिक योग:	(RAVI RANJAN)	26,976,408.00

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

Addl. PCCF CAMPA
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 9/10/2025

09/10